नियम

राजभाषा नियम- 1976

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजभाषा नियम, 1976 बनाया, इस नियम का संशोधन 1987 में हुआ। इस नियम को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य को छोडकर संपूर्ण भारत पर लागू है। इस नियम का अनुपालन भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, उपक्रम,निगम, अधिकरण, आयोग, कंपनी आदि करेंगे।

राजभाषा नियम 1976 - मुख्य बिंदु

- नियम 1 - संक्षिप्त नाम, राजभाषा नियम 1976 विस्तार और प्रारंभ
- नियम 2 - परिभाषाएं - केन्द्रीय कार्यालय, कर्मचारी एवं क्षेत्रवार वर्गीकरण
- नियम 3 - पत्राचार - राज्य सरकार एवं जनता के बीच
- नियम 4 - पत्राचार - केन्द्रीय कार्यालयों के बीच
- नियम 5 - हिंदी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही
- नियम 6 - हिंदी - अंग्रेज़ी दोनों में राजभाषा अधिनियम का धारा 3 (3) के दस्तावेज़
- नियम 7 - अभ्यावेदन/आवेदन हिंदी या अंग्रेज़ी में
- नियम 8 - टिप्पणी लिखना हिंदी या अंग्रेज़ी में
- नियम 9 - प्रवीणता प्राप्त परिभाषा
- नियम 10 - कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त परिभाषा
- नियम 11 - नियमावली, संहिताएं, लेखन सामग्री, नामपट्ट, परिचय पत्र आदि द्विभाषिक
- नियम 12 - उत्तरदायित्व - कार्यालय प्रमुख